राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/21	रामनारायण / सीताराम 564/2015 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत किया। जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02/04/2012 को अपने विस्तुत निर्णय व डिक्री के माध्यम से करते हुये वादी/अपीलान्ट्स का वाद ख़ारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02/04/2012 के विरुद्ध वादी/अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/10/2015 को यह अपील प्रस्तुत कि गयी। चूँकि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई। अत: अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसका जवाब रेस्पोडेंट की और से प्रस्तुत हुआ एवं रेस्पोडेन्ट की और से यह आपत्ति दर्ज कराई गयी कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई एवं अपील के साथ दफा-5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है, अत: अपील के गुणावगुण पर निस्तारण से पूर्व मियाद का बिन्दु निस्तारित किया जाना आवश्यक है अत: मियाद के बिन्दु पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट के वकील श्री राधेश्याम पारीक व उमेश पारीक थे। वादी/अपीलांट को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नही होने हेतु वादी/अपीलांट के वकील ने हिदायत दी हुई थी एवं कहा था कि जब भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी उसे बुला लिया जावेगा। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट्स के वकील को बगैर सुनवाई का अवसर दिये निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिये गये, जिसकी सुचना वादी/अपीलान्ट्स को नहीं दी गयी। कुछ समय पश्चात वादी/अपीलान्ट्स स्वयं कलेक्ट्रेट परिसर में अपने वकील से जानकारी हेतु आया किन्तु उसके अभिभाषक अपनी सीट पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रामनारायण / सीताराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो की हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म
	564/2015		

नही मिले तब वादी/अपीलान्ट्स ने अन्य अभिभाषक श्री रामगोपाल जी से इस हेतु सम्पर्क किया, जिन्होंने न्यायालय की मिसल का मुआयना दिनांक 04/10/2015 को कर निर्णय व डिक्री जैर अपील की जानकारी दी | तत्पश्चात निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 04/10/2015 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , जिस पर दिनांक 14/10/2015 को नकल प्राप्त कर दिनांक 16/10/2015 को अपील बगैर किसी विलम्ब के प्रस्तुत कर दी गयी | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब मात्र जानकारी के अभाव में हुआ है जानबूझकर विलम्ब नही की गई है | अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाया जाकर अपील को जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2018(1) RRT SC-601, AIR 1998 SC-3222, AIR 1987 SC 1353, RBJ 2003 SC 18, (2012)12 SCC-693, 2013(2) RRT-878, AIR 2004 SC-1230, 2006 RBJ SC 796, (2005) 3 SCC-752, 2002 RRD SC 37, (1996) 3 SCC-132, (1996) 10 SCC 639, 1998 RRD HC 319, 216 (2) RRT-971, 217(2) RRT 1104, 2006 RBJ 127, 2008 RRD-804 न्यायिक दृष्टात उद्धरित किये |

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेंट ने हमारा ध्यान प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद के पैरा नम्बर-2 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि निर्णय व डिक्री जैर अपील वादी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, इस सन्दर्भ में अप्रार्थी/रेस्पो. ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02/04/2012 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय में श्री उमेश पारीक एडवोकेट जो की वादी/अपीलांट के अधिवक्ता रहे है की उपस्थिति दर्ज की हुई है | न्यायालय द्वारा ऐसा उल्लेख किया जाना प्रजेम्शन ऑफ़ ट्रुथ की परिभाषा में आता है, जिसे नकारा नही जा सकता | अत: यह माना जायेगा

की निर्णय के दिन वादी/अपीलांट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में आगे यह भी कहा कि प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उनके अभिभाषक ने उन्हें निर्णय एवं डिक्री जैर अपील की जानकारी नही दी, जिससे भी सिद्द होता है कि उनके अभिभाषक को इसकी जानकारी थी। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा न. 2 की और ही पुन: ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने कलेक्ट्रेट परिसर में आकर अभिभाषक से मिलने का तथ्य लिखा है किन्तु मिलने की दिनांक का स्थान रिक्त रख रखा है, जिससे भी प्रार्थना पत्र मात्र काल्पनिक सिद्द होता है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी ने AIR 2018 SC 4724 उद्दरित करते हुये बहस में निवेदन किया कि गलत तथ्यों के आधार पर विलम्ब से मुक्ति नही दी जा सकती। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उनके अभिभाषक ने निर्णय जैर अपील की जानकारी उन्हें नही दी, जिससे वह समय रहते अपील प्रस्तुत नही कर सके। इस सन्दर्भ में AIR 2014 NOC 337 (MP) उद्दरित करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई यह तथ्य उजागर नही किया गया है कि उनके अभिभाषक द्वारा सुचना नही देने से अभिभाषक के विरुद्द कोई क़ानूनी कार्यवाही की हो। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा RRT 2014 (2)-1349, RRT 2014 (2)-1352, RRT 2010 (2)-801, 2014(4) WLC RAJASTHAN 87, RLR 2005(1) 680, RRT 2008 (2)-1409 उद्दरित करते हुये बहस के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में कोई ठोस कारण नही दिया गया है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी को कोई लाभ नही दिया जाना चाहिये एवं अपील मियाद प्रस्तुत होना शुमार की जाकर ख़ारिज की जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद के परिपेक्ष में दोनों पक्षों कि बहस का मनन करने के पश्चात अप्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में उठाये

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
564/2015	रामनारायण / सीताराम	

गये बिन्दुयो की पुष्टी होती है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा उद्धरित माननीय न्यायालयों की नजीरो में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु विलम्ब के सन्दर्भ में उचित कारण सिद्ध होना आवश्यक माना गया है, जो विचाराधीन प्रकरण में सिद्ध नही होने से प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद ख़ारिज किया जाता है एवं फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार किया जाकर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर